

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अडालत इलाहाबाद एंड S.D.O. मुकाम वायव्य

धनराम बनाम रीडराम कौर

किस्म मुकदमा वा. नॉ. 111,128 RURAL नं. 286/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर च तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/09/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>इनाम रव</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128 RURAL</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>14/10/19</u> को पेश हो</p>	
14/10/19	<p><u>प्रार्थी व वकील उपस्थित। विप्रार्थी/प्रतिवादी</u></p> <p><u>के नोटिस तामिल करके तामिल करके।</u></p> <p><u>सम्पन पत्रावली धारा 111,128 RURAL</u></p> <p><u>के तलब होकर दिनांक 26/11/19 को</u></p> <p><u>पेश हो।</u></p>	
26/11/19	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय</p> <p>अक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि</p> <p>कारी विपर कार्यों में व्यस्त है। मिसल</p> <p>इलतवा होकर दिनांक <u>07/01/2020</u> को</p> <p>पेश हो।</p>	
07/01/2020	<p>पत्रावली पेश हुई।</p> <p>वकूलाय फरीकन उपस्थित।</p> <p>पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त है।</p> <p>पत्रावली इलतवा होकर</p> <p>दिनांक <u>05/02/2020</u> को पेश हो।</p>	



05/02/2020

गार्डी वडील उपलब्धत। विद्यार्थीगिणों के
तामिल कसम तामिल कसम। इन्तजार मोडा
दिनांक 25/02/2020 की पैरा सी।

(Signature)
सि. नमवार
(SUN) 2020

न्याय
सि. नमवार
क्र. 25/02/2020/242
प्रार्थीगण
286/1

25/02/2020

गार्डी वडील उपलब्धत। विद्यार्थीगिणों के मोडित
तामिल खुडा प्राप्त जिसे शामिल पमावली विद्या गया।
विद्यार्थीगिण वाकडुड तामिल कसुड उपलब्धत। व्यापारण समग्र
तीन बार कावाज लगाई गई केलिय कावाज 5.45 pm
पर लगाई गई विद्यार्थीगिण स्वयं या उनही फोर ले कोई
सचिवस्ता उपलब्धत नही हुआ लिहाजा विद्यार्थीगिणों के
विरुद्ध एडवर्कमा कार्रवाई समल से लाई जाली है। गार्डी
के सचिवस्ता ही एडवर्कमा कसम लुनी गई गार्डी के
सचिवस्ता द्वारा बलाया ही गार्डी व विद्यार्थीगिणों के
प्यारेदारी खेत सेना सेना काये हुए है। गार्डी व विद्यार्थीगिणों
के सेना के मध्य जो पुरानी माडे व डगे काये हुए थे
जो वर्तमान के कायेगो ही कजह ले बिबर गये है। सिम
कारण गार्डी व विद्यार्थीगिणों के मध्य सेना को लेडा एमेका
तनकाज बना रहला है कषति होने पर विद्यार्थीगिण गार्डी के
खेत के सेना को लैकर लेडुडर उममे डास्त डर लेते है।
जिम कारण गार्डी को कपने खेले ही नेयामबन्दी डरकानी
कावेजत है। इसलिये गार्डी का नेयामबन्दी कावेजत स्वडिआ
विद्या जाडर नेयामबन्दी कावेजत विद्या जावे।

कतः गार्डी सचिवस्ता के निवेदन पर
गार्डी का नेयामबन्दी कावेजत स्वडिआ विद्या जाडर
नेयामबन्दी तहसीलडाए वाकडुड को डमिशन निमुक्त
विद्या जाला है व सम्बन्धित भू कन्ट्रिलेय सिरेलड का कसयड
डमिशन निमुक्त विद्या जाडर कावेजत विद्या जाला है कि
कसयड या सहायड डमिशन ले गार्डी के प्यारेदारी
खेतों ही पक्की नेयामबन्दी मोडे पर डमिशन खुलुडजमा
डराडर डरे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पमावली ही पमावली फेसल खुफा को डज नम्बर से
डम ही दाखिल दाखल है।

(Signature)
सहस्रक 25.2.2020
वाकडुड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

दिनांक:- 23/3/2020

क्रमांक/वाद/2020/242
राजस्व आवेदन संख्या - 286/19

प्रार्थीगण

श्री धन्नाराम पुत्र भोमाराम
जाति-जाट,
निवासी-आहोणियों बेनिवालों
की ढाणी, माधासर,
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर

बनाम


विप्रार्थीगण

श्री टीकूराम पुत्र दौलाराम वगैरा 4
जातियान-जाट, निवासीयान-
आहोणियों बेनिवालों की ढाणी,
माधासर, तहसील-बायतु,
जिला-बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा आहोणियों बेनिवालों की ढाणी पटवार हल्का माधासर के खेत खसरा नम्बर 861/300, 860/305 रकबा क्रमशः 20.10, 00.17 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2019/243-247
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, माधासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री धन्नाराम पुत्र भोमाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री टीकूराम पुत्र दौलाराम वगैरा 4।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 31/3/2020

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 23/3/2020